प्रेषक,

श्री हेरम्ब मिश्र
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 16 मई, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में पर्यावरणीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण व जन जागरूकता मद के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण निदेशालय के पत्र सं0-47/पर्या/प्लान/रा0से0यो0/जा0का0/2017-18, दिनांक 21 अप्रैल, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 में उल्लिखित शर्तो के अधीन पर्यावरण से सम्बन्धित विभिन्न दिवसों के अवसर पर जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन जैव-विविधता के पर्यावरणीय महत्व, उसके संरक्षण और अनुवांशिक संसाधनों के उपभोग से होने वाले लाभों के बारे में जन जागृति पैदा करने के उददेश्य से प्रत्येक वर्ष 22 मई, अर्न्तराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 05 जून को सम्पूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस, ओजोन परत के क्षरण होने से पृथ्वी तक पंहुचने वाले पराबैगनी-बी विकिरण की मात्रा में बढोत्तरी से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्यायों एवं ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिये ''संयुक्त राष्ट्र महासभा'' द्वारा 16 सितम्बर का दिन अर्न्तराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस तथा अन्य अवसरों पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन इसके अन्तर्गत संगोष्ठी/कार्यशाला/कान्फ्रेन्स, प्रदर्शनी, स्कूली बच्चों की पोस्टर/ भाषण/क्विज/स्किट प्रतियोगिता,एक्सटेम्पोर भाषण प्रतियोगिता व रैली इत्यादि का आयोजन, पर्यावरणीय संदेशों का समाचार पत्रों/रेडियों के माध्यम से प्रसारण, प्रचार सामग्री जैसे स्टीकर पैम्पलेट, पोस्टर एवं बुकलेट इत्यादि का प्रकाशन एवं वितरण तथा सांस्कृतिक दलों के माध्यम से नुक्कड नाटक/कठपुतली/सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि का आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रश्नगत मद में रू0 10,000,00-00 (रू0 दस लाख मात्र) की बजट व्यवस्था की गयी है, जिसमें से 05 माह के लेखानुदान की धनराशि रू0 4,17000-00 (रू0 चार लाख सत्रह हजार मात्र) की श्री राज्यपाल सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-45 पर्यावरण विभाग के लेखाशीर्षक-''3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण -03- पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरूदभवन-आयोजनागत-003-पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार-03- पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(हेरम्ब मिश्र)
संयुक्त सचिव।

सं0-11/2017/171(1)/55-पर्या-2-2017-221(पर्या)/16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनु0-7/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2
5- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(हेरम्ब मिश्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।